राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 99वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 99वीं बैठक दिनांक 07/07/2020 को 03:00 बजे श्री भोगी लाल सरन, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. समीर बाजपेयी, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. सुश्री संगीता पी., सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1 **दिनांक 10/06/2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 98वीं बैठक दिनांक 10/06/2020 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ की 326वीं, 327वीं, 328वीं एवं 329वीं बैठक क्रमशः दिनांक 01/06/2020, 02/06/2020, 03/06/2020 एवं 04/06/2020 की अनुशंसा के आधार पर गौण /मुख्य खनिजों, औद्योगिक परियोजनाओं, परियोजना एवं कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स तिरूपति बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड (कपाट बहरी आर्डिनरी स्टोन टेम्परारी परमिट क्वारी माईन), ग्राम–कपाट बहरी, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1210)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी/ एमआईएन/ 145949/2020 दिनांक 27/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कपाट बहरी, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 1117/19, कुल क्षेत्रफल – 0.971 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता – 78,243.98 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अकरम खान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंगारी का दिनांक 02/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 212/खनिज/खलि. 3/उत्खनन यो./2019–20 अम्बिकापुर, दिनांक 24/02/2020 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माईनिंग प्लान के अंतर्गत है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 213/खनिज/ख.लि.4/उ.अनु./2019–20 अम्बिकापुर, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 238/खनिज/खलि. 4/उ.अनु./2020 अम्बिकापुर, दिनांक 29/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, नहर, रेल लाईन, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, स्कूल, भवन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 45/खनिज/खलि.4/अ.उ./2020 अम्बिकापुर, दिनांक 13/01/2020 द्वारा जारी की गई है।

6. **भूमि स्वामित्व** – भूमि श्री इन्द्र प्रसाद एवं श्री अशोक के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक /वन.अधि./4696 अम्बिकापुर, दिनांक 03/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कपाट बहरी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–मगारी 0.64 कि.मी. एवं अस्पताल सीतापुर 9.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.53 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 35 कि.मी. दूर है। गाण्ड नदी 1.5 कि.मी. एवं तालाब 0.615 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,38,653 टन, माईनेबल रिजर्व 88,709 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 86,935 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.293 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,051 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। जिसे लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर में डम्प कर वृक्षारोपण किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना नहीं की जाएगी। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	78,244
द्वितीय	8,691

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की खपत 8.92 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 586 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। पहुंच मार्ग पर 950 नग पौधे लगाए जायेंगे। इस प्रकार कुल 1,536 नग पौधे का रोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.33	2%	1.17	Following activities at Govt. Middle School **Village-Kapat Bahari**	
			Rain Water Harvesting System	1.23
			Plantation	0.10
			Total	**1.33**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 213/खनिज/ख.लि.4/उ.अनु./2019–20 अम्बिकापुर, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–कपाट बहरी) का रकबा 0.971 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–कपाट बहरी, तहसील–बलौली, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 1117/19 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.971 हेक्टेयर, अधिकतम क्षमता –

78,243 टन प्रतिवर्ष 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–कपाट बहरी, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 1117/19 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.971 हेक्टेयर, अधिकतम क्षमता – 78,243 टन प्रतिवर्ष 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. मेसर्स तिरूपति बिल्डकान प्राईवेट लिमिटेड (मंगारी आर्डिनरी स्टोन टेम्परारी परमिट क्वारी माईन), ग्राम–मंगारी, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1211)

ऑनलाईन आवेदन– प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 145997/ 2020 दिनांक 27/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंगारी, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 846/2, 846/3 एवं 846/4, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 80,195.96 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अकरम खान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मगारी का दिनांक 02/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – सर्टिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 211/खनिज/खलि. 3/उत्खनन यो./2019–20 अम्बिकापुर, दिनांक 24/02/2020 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माईनिंग प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 214/खनिज/ख.लि.4/उ.अनु./2019–20 अम्बिकापुर, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.234 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 239/खनिज/खलि. 4/उ.अनु./2020 अम्बिकापुर, दिनांक 29/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि मे कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, नहर, रेल लाईन, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, स्कूल, भवन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 44/खनिज/खलि.4/अ.उ./2020 अम्बिकापुर, दिनांक 13/01/2020 द्वारा जारी की गई है।

6. **भूमि स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 846/2 क्षेत्रफल 0.216 हेक्टेयर श्री बाबा, खसरा क्रमांक 846/3 क्षेत्रफल 0.216 हेक्टेयर श्री गिरधारी एवं खसरा क्रमांक 846/4 क्षेत्रफल 0.568 हेक्टेयर श्री जगमोहन के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक /तक.अधि./4698 अम्बिकापुर, दिनांक 03/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सुवारपारा 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–सुवारपारा 0.88 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बतौली 8.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.68 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 39.15 कि.मी. दूर है। माण्ड नदी 1.3 कि.मी. एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा

घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,43,000 टन, माईनेबल रिजर्व 93,277 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 88,613 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.291 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,544 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। जिसे लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर में डम्प कर वृक्षारोपण किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना नहीं की जाएगी। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	80,196
द्वितीय	8,418

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की खपत 6.07 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 582 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा राजेंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)

Rupees)	to be Spent	Activities (in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
60.95	2%	1.22	Following activities at Govt. Primary School **Village-Suwarpara (Mangari)**	
			Rain Water Harvesting System	0.80
			Potable Drinking Water Facility	0.25
			Running Water Facility for toilets	0.15
			Plantation	0.10
			Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
			Total	**1.35**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 214 / खनिज / ख.लि.4 / उ.अनु. / 2019–20 अम्बिकापुर, दिनांक 24 / 02 / 2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.234 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मंगारी) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मंगारी) को मिलाकर कुल रकबा 2.234 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–मंगारी, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 846 / 2, 846 / 3 एवं 846 / 4 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, अधिकतम क्षमता – 80,195 टन प्रतिवर्ष 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07 / 07 / 2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–मंगारी, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 846 / 2, 846 / 3 एवं 846 / 4 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, अधिकतम क्षमता – 80,195 टन प्रतिवर्ष 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

3. मेसर्स श्री मोहन लाल चक्रधारी (हरदी सोईल/ऑडिनरी क्ले क्वारी), ग्राम–हरदी, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 975)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43961/2019, दिनांक 16/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 11/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हरदी, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 414, कुल क्षेत्रफल–0.971 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भाऊ राम चक्रधारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिक निगम राजनांदगांव का दिनांक 01/05/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (क्वारी कम इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.लि./टीन–6/2016/752 रायपुर, दिनांक 29/03/2016 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माईनिंग प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2757/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 14.099 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 14.099 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में 6 खदानों से अधिक खदानें विद्यमान है। उक्त से स्पष्ट है कि ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर की गणना किये जाने हेतु कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जारी प्रमाण पत्र में केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर की गणना किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर, तदनुसार ई.आई.ए. अध्ययन किया जाए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2757/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री मोहन लाल भक्तधारी के नाम पर है, लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/01/2010 से 13/01/2015 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 14/01/2015 से 13/01/2040 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10–1/2020/1950 राजनांदगांव, दिनांक 24/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 17.4 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–हरदी 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–हरदी 1 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 0.92 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 29,130 टन, माईनेबल रिजर्व 17,478 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 16,719 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर (398 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	500	2	1,000	1,500
द्वितीय	500	2	1,000	1,500
तृतीय	500	2	1,000	1,500
चतुर्थ	500	2	1,000	1,500
पंचम	500	2	1,000	1,500

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठवें	500	2	1,000	1,500
सातवें	500	2	1,000	1,500
आठवें	500	2	1,000	1,500
नौवें	500	2	1,000	1,500
दसवें	500	2	1,000	1,500

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गड्ढे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सहमति ली जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है। खदान से नदी की दूरी 90 मीटर है। अतः खदान से नदी की दूरी 100 मीटर किये जाने के लिए नदी की तरफ खदान की सीमा से 10 मीटर के क्षेत्र में खनन नहीं किया जाएगा तथा इसमें वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त खदान से केवल मिट्टी उत्खनन एवं ईंट निर्माण हेतु लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वयं के अन्य उत्खनि पट्टे में अवस्थित चिमनी भट्टे का उपयोग किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—**

i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 414, कुल क्षेत्रफल — 0.971 हेक्टेयर है, क्षमता — 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला—राजनांदगांव द्वारा दिनांक 12/10/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/587/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 07/03/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:—

वर्ष	ईंट (नग)	कच्चा माल (मिट्टी +50 प्रतिशत फ्लाई ऐश) (घनमीटर)	उत्पादन (उपयोग की गई मिट्टी) (घनमीटर)
2009—2010	निरंक	निरंक	निरंक
2010—2011	5,67,700	1135.4	567.7
2011—2012	4,39,300	878.6	439.3
2012—2013	4,96,100	992.2	496.1
2013—2014	5,48,500	1097	548.5
2014—2015	240200	480.4	240.2
2015—2018	निरंक	निरंक	निरंक
2018—2019	3,00,000	600	300
2019—2020 (दिसम्बर 2019 तक)	3,00,000	600	300

इस प्रकार खदान से कुल 2,892 घनमीटर मिट्टी का उत्खनन किया गया है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2757/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 14.099 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–हरदी) का रकबा 0.971 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–हरदी) को मिलाकर कुल रकबा 15.07 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

4. मेसर्स श्री प्रवीण कुमार चक्रधारी (हरदी सोईल/ऑडिनरी क्ले माईन), ग्राम–हरदी, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 976)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43959/2019, दिनांक 16/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 11/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हरदी, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 422 कुल क्षेत्रफल–2.023 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भाऊ राम चक्रधारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिक निगम राजनांदगांव का दिनांक 01/05/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (क्वारी कम इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन.6/2016/755 रायपुर, दिनांक 29/03/2016 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माईनिंग प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/275ए/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 13.047 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 13.047 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में 6 खदानों से अधिक खदानें विद्यमान है। उक्त से स्पष्ट है कि ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर की गणना किये जाने हेतु कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जारी प्रमाण पत्र में केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समरूप खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर की गणना किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर, तदनुसार ई.आई.ए. अध्ययन किया जाए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/275ए/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री प्रवीण कुमार चक्रधारी के नाम पर है, जिसकी अवधि 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 10/10/2005 से 09/10/2035 तक की अवधि हेतु वैध है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10–1/2020/1948 राजनांदगांव, दिनांक 24/02/2020 से जारी अनापत्ति

प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 17.2 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–हरदी 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–हरदी 1.2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.2 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 0.095 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 60,690 टन, माईनेबल रिजर्व 53,121 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 42,110 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर (590 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। चिमनी की ऊंचाई 35 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 24 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	600	2	1,200	1,800
द्वितीय	600	2	1,200	1,800
तृतीय	600	2	1,200	1,800
चतुर्थ	600	2	1,200	1,800
पंचम	600	2	1,200	1,800

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठवें	600	2	1,200	1,800
सातवें	600	2	1,200	1,800
आठवें	600	2	1,200	1,800
नौवें	600	2	1,200	1,800
दसवें	600	2	1,200	1,800

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गड्ढे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सहमति ली जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 300 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

13. **प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन** – लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस क्षेत्र में ओवरबर्डन से भराव कर रोपण का कार्य जनवरी 2021 से पूर्व किया जाएगा। खदान से नदी की दूरी 95 मीटर है। अतः खदान से नदी की दूरी 100 मीटर किये जाने के लिए नदी की तरफ खदान की सीमा से 5 मीटर के क्षेत्र में खनन नहीं किया जाएगा तथा इसमें वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 422, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर है, क्षमता – 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/587/ख.सि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 07/03/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	ईंट (नग)	कच्चा माल (मिट्टी +50 प्रतिशत फ्लाई ऐश) (घनमीटर)	उत्पादन (उपयोग की गई मिट्टी) (घनमीटर)
2005–2006	1,47,300	294.6	147.3
2006–2007	35,600	712.4	356.2
2007–2008	2,95,100	590.2	295.1
2008–2009	4,07,500	815	407.5
2009–2010	1,76,900	353.8	176.9
2010–2011	निरंक	निरंक	निरंक
2011–2012	निरंक	निरंक	निरंक
2012–2013	1,75,000	350	175
2013–2014	3,65,500	731	365.5
2014–2015	3,95,000	790	395
अप्रैल 2015 – अक्टूबर 2015	3,20,000	640	320
नवम्बर 2015 – दिसम्बर 2016	निरंक	निरंक	निरंक
जनवरी 2017 – मार्च 2017	4,10,000	820	410
2017–2018	8,30,000	1,660	830
2018–2019	5,50,000	1,100	550
2019–2020 (दिसम्बर 2019 तक)	3,00,000	600	300

इस प्रकार खदान से कुल 4,728.5 घनमीटर मिट्टी का उत्खनन किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ईंट निर्माण के लिए भट्टा स्थापित है, जिसका कुछ क्षेत्र लीज क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा कुछ क्षेत्र लीज के बाहर आता है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय, कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/275ए/खनि 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 13.047 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–हरदी) का रकबा 2.023 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–हरदी) को मिलाकर कुल रकबा 15.07 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. ईंट निर्माण के लिए स्थापित भट्टा को लीज क्षेत्र के अंदर अथवा बाहर किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए एवं तदनुसार माईनिंग प्लान में संशोधन कराया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project Proponent shall submit proposal for transfer of brick kiln within or outside the mine lease area and accordingly mining plan shall be revised.

iii. Project Proponent shall submit layout map earmarking 1 meter of mine lease periphery & mined out area, calculation of mined out area and an action plan for restoration of boundary area and complete plantation in these area before January, 2021.

iv. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

v. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

vi. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

5. मेसर्स श्री अजय सिंह (मोखली लाईम स्टोन माईन), ग्राम–मोखली, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1000)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44669/2019, दिनांक 05/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोखली, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 113 एवं 434(पार्ट), कुल क्षेत्रफल– 0.488 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रतीक राय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहली का दिनांक 06/05/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (क्वारी कम इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 466/तीन–6/ख.लि./2016 रायपुर, दिनांक 24/02/2016 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माईनिंग प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/107/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 10/01/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.846 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/107/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 10/01/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री अजय सिंह के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/09/2008 से 16/09/2013 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 17/09/2013 से 16/09/2030 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र/मा.चि./न.क. 10–1/2020/2086 राजनांदगांव, दिनांक 27/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोखली 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–मोखली 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 0.6 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 97,200 टन, माईनेबल रिजर्व 80,340 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 70,506 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (2,340 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,500 एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	800	3	2,400	4,800
द्वितीय	900	3	2,700	5,400
तृतीय	1,000	3	3,000	6,000
चतुर्थ	1,000	3	3,000	6,000
पंचम	1,000	3	3,000	6,000

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छटवें	1,000	3	3,000	6,000
सातवें	1,000	3	3,000	6,000
आठवें	1,000	3	3,000	6,000
नौवें	1,000	3	3,000	6,000
दसवें	1,000	3	3,000	6,000

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गड्ढे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सहमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 400 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार कुल 1,000 नग पौधे का रोपण किया जाएगा।

13. **प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र के कुछ भागों में लगभग 3.5 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जा चुका है। अतः उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इस बाबत् कमिटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना खदान खसरा क्रमांक 113 एवं 434/1, कुल क्षेत्रफल – 0.486 हेक्टेयर, क्षमता – 6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/467/ख.नि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 18/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
17/09/2008 से 31/03/2009	निरंक	2014–2015	निरंक
2009–2010	374	2015–2016	निरंक
2010–2011	197	2016–2017	213
2011–2012	299	2017–2018	1,160
2012–2013	572	2018–2019	4,730
2013–2014	200	2019–2020 (जनवरी 2020)	2,865

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के

अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Govt. Primary School **Village-Mokhali**	
			Solar Lighting system	0.30
			Plantation	0.10
			Total	0.40

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/107/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 10/01/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.646 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मोखली) का रकबा 0.486 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मोखली) को मिलाकर कुल रकबा 1.332 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. खदान की सीमा (7.5 मीटर चौड़ी) में पूर्व से उत्खनित क्षेत्र ओवरबर्डन से भरकर वृक्षारोपण का कार्य प्राथमिता से 6 माह के पूर्व किया जाए। निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसमें पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्तीकरण भी शामिल है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–मोखली, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 113 एवं 434(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.486 हेक्टेयर क्षमता – 6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को सम्पन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में लगभग 3.5 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–गोखली, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 113 एवं 434(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.486 हेक्टेयर (माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में चारों तरफ ग्रीन बेल्ट सुनिश्चित करते हुये), क्षमता – 6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

6. मेसर्स श्रीमती रेखा सिंह (हरदी सोईल / ऑडिनरी क्ले माईन), ग्राम–हरदी, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1001)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 43731 / 2019, दिनांक 05 / 11 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30 / 11 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03 / 03 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हरदी, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 530, 531, 532, 533 / 1,2, 534 एवं 535(पार्ट), कुल क्षेत्रफल– 2.773 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–2,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट / पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रतीक राय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिक निगम राजनांदगांव का दिनांक 30/08/1997 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (क्वारी कम इन्वायरोमेंट मैनेजमेन्ट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2016/464 रायपुर, दिनांक 24/02/2016 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माईनिंग प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2801/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 14.94 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 14.94 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में 8 खदानों से अधिक खदानें विद्यमान है। उक्त से स्पष्ट है कि ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर की गणना किये जाने हेतु कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जारी प्रमाण पत्र में केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात क्लस्टर हेतु लीमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर की गणना किये जाने

हेतु उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर, तदनुसार ई.आई.ए. अध्ययन किया जाए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2801/ख.नि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती रेखा सिंह के नाम पर है, जिसकी अवधि 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/11/1997 से 19/11/2027 तक की अवधि हेतु वैध है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क. 10–1/2020/2084 राजनांदगांव, दिनांक 27/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 17.4 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–हरदी 1.2 कि.मी. स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–हरदी 1.2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 0.2 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 83,190 टन, माईनेबल रिजर्व 72,840 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 42,300 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर (0.087 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्रेनी की ऊंचाई 35 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	1,200	2	2,400	3,600
द्वितीय	1,200	2	2,400	3,600
तृतीय	1,200	2	2,400	3,600
चतुर्थ	1,200	2	2,400	3,600

पंचम	1,200	2	2,400	3,600

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठवे	1,200	2	2,400	3,600
सातवे	1,200	2	2,400	3,600
आठवे	1,200	2	2,400	3,600
नौवे	1,200	2	2,400	3,600
दसवे	1,200	2	2,400	3,600

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गढ्ढे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सहमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 530, 531, 532, 533/1,2, 534 एवं 535(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 2.773 हेक्टेयर, क्षमता – 2,400 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण जिला–राजनांदगांव दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/465/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 18/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
1997–1998	766	2009–2010	1,473
1998–1999	1,693	2010–2011	1,130
1999–2000	1,710	2011–2012	1,270
2000–2001	1,398	2012–2013	1,330
2001–2002	1,270	2013–2014	1,210
2002–2003	1,770	2014–2015	1,340
2003–2004	1,841	2015–2016	1,886
2004–2005	1,260	2016–2017	1,536
2005–2006	1,146	2017–2018	1,534

2006–2007	1,072	2018–2019	1,342
2007–2008	1,024.2	2019–2020 (जनवरी 2020 तक)	970
2008–2009	1,097		

इस प्रकार खदान से कुल 32,214.2 घनमीटर मिट्टी का उत्खनन किया गया है।

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2801/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 08 खदानें, क्षेत्रफल 14.94 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–हरदी) का रकबा 2.773 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–हरदी) को मिलाकर कुल रकबा 17.713 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

7. मेसर्स शांभवी इस्पात लिमिटेड, ग्राम–मेरवानी, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1167)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 50927/2020, दिनांक 12/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रकरण क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–मेरवानी, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 31/1, 31/2, 32/1, 32/2 एवं 32/3, क्षेत्रफल 8.223 हेक्टेयर में प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस (8 गुणा 15 टन) (एम.एस. बिलेट्स/स्टील इगोट्स) क्षमता – 3,96,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (2 गुणा 500 टन प्रतिदिन) (एम.एस. बार्स/रॉड/टी.एम.टी. बार्स/वॉयर रॉड/एंगल/चैनल एवं स्टील स्ट्रक्चर) के क्षमता विस्तार – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,60,000 टन प्रतिवर्ष तथा न्यू कोल गैसीफायर (प्रोड्यूसर गैस) क्षमता–19,800 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रुपए 40 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा रोफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
4. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्थाओं की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. वर्तमान में किए गये वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण की फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमित अग्रवाल, पार्टनर एवं श्री श्यामलाल अग्रवाल उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम-गैरवानी 0.5 कि.मी., रेलवे स्टेशन किरोड़ीमल नगर 7.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.3 कि.मी. दूर है। कुल्हन नाला 5 कि.मी. की दूरी पर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **भूमि स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in Acre)
1	Induction Furnace Shed	2.03
2	Rolling Mill Shed	3.06
3	Storage Area	2.47
4	Internal Road	0.74
5	Green Belt	7.63
6	Water Reservoir	0.15
7	Parking	0.30
8	Mics. (i.e. Admin, Substation etc.)	0.25
9	Open Area	3.69
	Total	**20.32**

4. **इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Unit (Product)	CTE Obtained (under construction)	Proposed Expansion		After Proposed Expansion
			Phase I	Phase II	
1.	Induction Furnace (MS billets / Steel Ingots)	-	1,98,000 TPA (4X15 T)	1,98,000 TPA (4X15 T)	3,96,000 TPA
2.	Rolling mill (TMT / wire rod / patra & other rerolled products)	30,000 TPA	1,65,000 TPA (1 x 500 TPD)	1,65,000 TPA (1 x 500 TPD)	3,60,000 TPA
3.	Coal gasifier	-	9,900	9,900	19,800

			Nm^3/Hr	Nm^3/Hr	Nm^3/Hr

5. रॉ–मटेरियल –

Raw Material		Quantity (In TPA)	Mode of Transport
For Induction Furnace – 3,96,000 TPA			
Sponge Iron		3,30,000	By road (through covered trucks)
Scrap		1,41,000	By road (through covered trucks)
Ferro Alloys		5,900	By road (through covered trucks)
For Rolling Mill – 30,000 TPA To 3,60,000 TPA			
Steel Ingots / billets		3,53,100	-
Furnace oil		16,500	Tankers
For Coal gasifier			
Coal	Indian coal	66,000	By rail & road (through covered trucks)
	Imported coal	42,200	through Sea route & rail

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्युग्म एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त इकाईयों से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। स्थापना सम्मति प्राप्त रोलिंग मिल में स्क्रबर स्थापित है, जिसमें पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

7. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S.No.	Waste / by product	Existing (Under Implement.) in TPD	Proposed Expansion In TPD	Method of Disposal
For Induction Furnace				
1.	Slag	-	120	Slag from SMS will crushed and iron ore will be recoverd & remaining non – magnetic material being insert by nature will be used as sub base material in road construction/will be given to brick manufactures
For Rolling Mill				
2.	Mill Scales	1.2	12	Mill scales will be given to nearby Ferro alloys

				manufacturing units or casting units.
3.	End Cutting	3.8	38	Recycled back as raw mareria in own induction Furnaces.
For gasifier				
4.	Cinder	-	90	Will be given to brick manufacturing units.
5.	Tar	-	4.2	Will be given to coal tar recyclers / agencies engaged inconstruction activities/given to nearby Pellet plant units.

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं रोलिंग मिल हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार उपरांत कुल 435 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, इण्डक्शन फर्नेस हेतु 160 घनमीटर प्रतिदिन, रोलिंग मिल हेतु 230 घनमीटर प्रतिदिन एवं कोल गैसीफायर हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 20 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति राज्य ग्रिड द्वारा किया जाएगा।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 3.09 हेक्टेयर (37.58 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य आरंभ नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 3,96,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल की क्षमता विस्तार – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,60,000 टन प्रतिवर्ष तथा न्यू कोल गैसीफॉयर (प्रोड्यूसर गैस) क्षमता–19,800 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report for new season.

ii. Project proponent shall submit details of STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

iii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

iv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

v. Project proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authourity for use of ground water.

vi. Project proponent shall submit layout earmarking altleast 15m wide green belt all along the pheriphery of the project area.

vii. Project Proponent shall submit detail proposal to restrict particulate matter emission to less than 30 mg/Nm^3 in induction furnace(s) and less than 25 mg/Nm^3 in rolling mill.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

8. मेसर्स रामनिवास पोद्दार आर्डिनरी स्टोन माईन (पार्टनर–श्री सुदीप पोद्दार), ग्राम–सैंदा, तहसील–खडगवां, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 969ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/44263/2019, दिनांक 06/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 25/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 08/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सैंदा, तहसील–खडगवां, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 135 कुल

क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर मे है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 20,070 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व मे आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों मे किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निखार शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सैदा का दिनांक 07/03/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1136/खनिज/2019 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 26/08/2019 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माईनिंग प्लान के अंतर्गत है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /2358/खनिज/2020 कोरिया, दिनांक 28/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2357/खनिज/2020 कोरिया, दिनांक 28/05/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट,

अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, रेल लाईन, नहर एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 585/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा पत्र/कोरिया/2019 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु वैध है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./3060 बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/05/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 3 कि.मी. दूर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सैदा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–सैदा 1 कि.मी. एवं अस्पताल खडगवा 4 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 30 कि.मी. दूर है। तालाब 0.5 कि.मी. एवं सी.सी. रोड 65 मीटर दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 52,836 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 28,513 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 25,662 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.341 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 5.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,043 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,070
द्वितीय	3,465

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की खपत 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 681 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.20	2%	0.81	Following activities at Govt. Middle School Village-Sainda	
			Rain Water Harvesting System	1.12
			Running Water Arrangement	0.10
			Plantation	0.10
			Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
			Total	1.37

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /2356/खनिज/2020 कोरिया, दिनांक 28/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सैंदा) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–सैंदा, तहसील–खडगवा, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 135 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, अधिकतम क्षमता – 20,070 टन प्रतिवर्ष 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–सैंदा, तहसील–खडगवा, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 135 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, अधिकतम क्षमता – 20,070 टन प्रतिवर्ष 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

9. मेसर्स श्री विनोद कुमार अग्रवाल (खरकेना डोलोमाईट माईन), ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1240)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 52187/2020, दिनांक 08/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रकरण खदान के उत्खनन क्षमता के विस्तारीकरण का है। यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1081/2, 1085/1, 1085/2, 1078, 1079, 1080, 1073/2, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1076, 1089 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल–5.7 हेक्टेयर में है। खदान की वर्तमान उत्खनन क्षमता – 45,000 टन प्रतिवर्ष एवं आवेदित कुल उत्खनन क्षमता – 70,000.04 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वी बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आयुष अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खरकेना का दिनांक 27/09/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4664/माईनिंग-2/क्यू.पी./एफ.नं. 48/2015 नया रायपुर, दिनांक 03/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 568/ख.ति./न.क./2019 बिलासपुर, दिनांक 03/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदान, कुल क्षेत्रफल 16.308 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र होने अथवा न होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री विनोद कुमार अग्रवाल के नाम पर है, लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/11/1996 से 28/11/2016 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड की अवधि में दिनांक 28/11/2046 तक के लिए वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-खरकेना 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-खरकेना 2 कि.मी. एवं अस्पताल बिल्हा 5 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

8. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 44,69,025 टन एवं माईनेबल रिजर्व 30,38,954 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.971 हेक्टेयर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 34 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 88,110 एवं मोटाई 3 मीटर से 6 मीटर है। जिरो लीज

क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर में डम्प कर वृक्षारोपण किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 44 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	8,187	3	24,561	70,000
द्वितीय	8,187	3	24,561	70,000
तृतीय	8,187	3	24,561	70,000
चतुर्थ	8,187	3	24,561	70,000
पंचम	8,187	3	24,561	70,000

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छटवें	8,187	3	24,561	70,000
सातवें	8,187	3	24,561	70,000
आठवें	8,187	3	24,561	70,000
नौवें	8,187	3	24,561	70,000
दसवें	8,187	3	24,561	70,000

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

10. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की खपत 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

11. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 300 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार कुल 2,700 नग पौधे का रोपण किया जाएगा।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक 1066, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1081/2, 1085/1, 1085/2, 1078, 1079, 1080, 1073/2, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1076, 1089 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल – 5.7 हेक्टेयर, क्षमता – 45,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 10/10/2009 को जारी की गई।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक / 1170 / ख.लि. / न.क्र. / 2019 बिलासपुर, दिनांक 17 / 10 / 2019 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2009–2010	40,240	2014–2015	44,780
2010–2011	44,650	2015–2016	44,800
2011–2012	44,960	2016–2017	44,930
2012–2013	37,400	2017–2018	44,280
2013–2014	44,800	2018–2019	44,900

13. प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य आरंभ नहीं किया गया है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 568 / ख.लि. / न.क्र / 2019 बिलासपुर, दिनांक 03 / 09 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 16.308 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–खरकेना) का रकबा 5.7 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–खरकेना) को मिलाकर कुल रकबा 22.008 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.

iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

vi. Project Proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and submit the report alongwith photographs will be EIA report.

vii. Project proponent shall submit compliance report for Environment Clearance from Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

10. मेसर्स व्ही.एम. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1253)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 52289/2020, दिनांक 12/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह नवीन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 116/1, कुल एरिया–1.00 एकड़ में प्रस्तावित है। नवीन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस 100 किलोग्राम/घण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम/बैच एवं शेडर क्षमता – 100 किलोग्राम/घण्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रुपए 2.7 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. परियोजना हेतु निर्धारित किए गए प्रोसेस की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. अन्य वैकल्पिक स्थलों के चयन के साथ ट्रीटमेंट फेसीलिटी की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से चयनित किए जाने की जानकारी प्रस्तुत करें।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
4. ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
5. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुर्नउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
7. जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का अपवहन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यवस्थाओं के विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. ले-आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुए वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
11. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपिन मलिक, डॉयरेक्टर एवं श्री राजाराम पटेल, जनरल मैनेजर उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त आवेदन को ऑनलाईन पोर्टल में दिनांक 26/05/2020 को विड्रॉल कर, नया आवेदन किया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से प्रकरण को डिलिस्ट/निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स बी.एम. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1254)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 52327 / 2020, दिनांक 13 / 03 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 359 कुल एरिया–0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़) क्षेत्र में प्रस्तावित है। परियोजना के अंतर्गत इंसिनरेशन प्लांट्स पायरोलाईसिस क्षमता – 100 किलोग्राम / घण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर / बैच एवं शेडर क्षमता – 100 किलोग्राम / घण्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रुपए 2.75 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. परियोजना हेतु निर्धारित किए गए प्रोसेस की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. अन्य वैकल्पिक स्थलों के चयन के साथ ट्रीटमेंट फेसीलिटी की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से चयनित किए जाने की जानकारी प्रस्तुत करे।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
4. ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
5. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुर्नउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
7. जैव–चिकित्सा अपशिष्टों का अपवहन जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यवस्थाओं के विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुए वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

11. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपिन मलिक, डॉयरेक्टर एवं श्री राजाराम पटेल, जनरल मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–उरगा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हसदेव नदी 2.0 कि.मी. दूर स्थित है। राज्य मार्ग – 2.24 कि.मी., राष्ट्रीय राजमार्ग – 0.78 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन कोरबा 4.83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/2984/सामान्य/2019 बिलासपुर दिनांक 25/11/2019 द्वारा जारी की गई है।

3. **ट्रीटमेंट फेसीलिटी –**

   - **BRIEF SPECIFICATIONS OF INDUCTION PYROLYSIS INCINERATOR**

Specifications Of Induction Plasma Pyrolysis	
Capacity	100 KG Per Hour
Type	Cylindrical Vertical (solid waste feeding)
Revolution	0.2 to 1 rpm
Volume	3 m^3
Moc (Shell)	SS3310- 10mm Thick
Chamber Pressure	10-20mm WC
Travel Speed	6.02 mtr/ Hr
Refractory Thick	25 mm
Inner Diameter of Kiln	1000mm
Inner Length of Kiln	3000mm
Flue Gas Velocity	1.3mtr / Sec
Ash And Resudes Separation	Ash Separator With Hot Ash Removal Screw Convayor
Gas Leakage Prevention	Unit High Pressure air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Back Pressure Prevention	From Charging Door Compressed Door Mechanisum
Explosion Safety Exploitation	Davit Arrangement (Internal)

Waster Loading Mechanism	Bucket Elevator With Hopper
Waste Receiving From Kiln Side	Hoper unit With Safety Door
Feeding unit	5HP
Nature / Category of waste	Incinerable bio-medical waste with Maximum 85% moisture Content
Heat Loss Fraction	0.05
Design Temperature	1400 °C
Source Of Energy	Electric
Combustion Efficiency	At Least 99 %
Temperature Resistance (Primary Chamber)	1400°C
Temperature Resistance (Secondary chamber)	1200°C
Preheating Time	Maximum One Hour
Temperature In Primary Chamber	800 + 50 °C and 800-50°C
Temperature In Secondary Chamber	1050 + 50 °C and 1050 – 50 °C
O_2 content in Primary Chamber	6%
Residence time for flue gas in Secondary Chamber	2 sec

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF SECONDARY CHAMBER**

Description	Specification
Type	Cylindrical Statical
Inclination	Vertical 90 or horizontal
Volume	2 m3
MOC (Shell)	SS304 or MS 2062 refractory lined
Chamber pressure	10-20 mm WC
Refractory Thick	25mm
Inner Size of chamber	1m
Inner length of chamber	2m
Tyre Wheel	250 wide 2 set
Flue gas velocity	1.9 mtr/sec
Ash and Residues Separation	Ash Separator with Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage	High Pressure Air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Explosion Safety	Explosion Davit Arrangement (Internal) Top With Counter Weight Linked With Plc Control
Retention time of flue	2 - 2.2 Second. Gases In Chamber

- **Autoclave**

Technical Specifications	
Capacity	100 Litre/hr x 1 No
Model No.	NEET AC100
MOC	SS -304
Heating Media	By steam generated from Electric heater arrangement
Feeding	Manual through horizontal Trolley
Safety Instrument	Pressure Gauge and Safety Valve
Insulation	Ceramic wool on outer side
Pressure	2.1 kg/cm2
Temperature	121 to 134 °C
Design Temperature	150°C
Air Emission	Highly Odorous but Non Toxic

Water Emission	Odorous May Contain Live Micro Organisms at Base
Treatment Effluent	Low Wet Waste 10 % Heavier all Material Acceptance Recognizable

- **Shredder**

Technical Specifications	
Capacity	100 Kg/Hr x 1 No
MODEL No	NEET AC100
Waste Materials	Biomedical waste
Power	3 HP
Motor	3 Phase 50 Hz 415 VAC
Shredding Size	25 X50 mm Waste Cutting
Hopper Size	300 X 400 mm Height
Drive	V belt Pulley drive
Required Space	2m2 (only machine)
MOC	MS Fabricated
MOC of Blade	W.P.S. Hardened changeable Blade
Cutting Blade	5 Nos.(3 movables & 2 fix blade)
Control Panel	Dual starter ON/OFF switch
Bearing	SKF/ZKL Ball Bearing

4. हजार्डर्स एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Hazardous & Solid Waste Management				
CAT. NO.	TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE	SOURCE	QUANTITY GENERATED (Kg/Day)	METHOD OF DISPOSAL
36.2	Ash	Incinerator	500	Sent to TSDF
34.3	ETP Sludge	ETP area	75	Sent to TSDF site for landfilling or cement co-processing
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	500	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	300	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	As generated	Sent to foundry for metal recovery / TSDF
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	10	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries		As generated	Sent to Authorized Recyclers

5. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 10 किलोलीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 2.5 किलोलीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोग हेतु 6.7 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। इस हेतु भू–जल प्राधिकरण (CGWA) से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल की मात्रा 0.6 किलोलीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 4.6 किलोलीटर

प्रतिदिन होगी। दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्ल्युऐंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता–10 किलोलीटर प्रतिदिन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ईफ्ल्युऐंट ट्रिटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं फ्लोकुलेटर, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेंट स्टोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड, पी.एस.एफ. एवं ए.सी.एफ. डिसइन्फेक्शन फैसिलिटी (सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग डिसइन्फेक्टेंट मीडिया की तरह किया जाएगा), ट्रीटेड वेस्ट वॉटर टैंक आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर कलेक्शन टैंक क्षमता 15 किलोलीटर (2 नग) प्लांट के भीतर निर्मित की जाएगी। ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज क्षमता 1.442 घनमीटर प्रतिवर्ष होगा।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – Induction Plasma Pyrolsis में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेंचुरी स्क्रबर एवं क्विंचर के साथ पेक्ड बेड स्क्रबर की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट में चिमनी की ऊंचाई 12 मीटर होगी। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।
7. **परिवहन व्यवस्था** – जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।
8. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 80 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.वी. डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
9. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1,350 वर्गमीटर (लगभग 33.33 प्रतिशत) में 325 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस क्षमता – 100 किलोग्राम/घण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर/बैच एवं श्रेडर क्षमता – 100 किलोग्राम/घण्टा हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की जाये:–

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने हेतु मॉनिटरिंग कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को सूचित किया जाए।
2. उपरोक्त स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "परिसंकटमय अपशिष्टों" के स्थान पर "जैव–चिकित्सा अपशिष्टों" का उल्लेख किया जाए। तदनुसार युक्तियुक्त संशोधन किया जाए।
3. जैव–चिकित्सा अपशिष्टों का संग्रहण, हस्तालन (handling), भंडारण, परिवहन एवं निपटान (disposal) तथा उपचारित दूषित जल गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषकों के

उत्सर्जन बाबत् निर्धारित मानकों का पालन जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार ई.आई.ए. में प्रस्ताव का समावेश किया जाए।

4. भू–जल के उपयोग हेतु सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना क्षेत्र के चारों ओर वृक्षारोपण को दर्शाते हुए संशोधित ले–आउट प्रस्तुत किया जाए।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यभार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

12. मेसर्स श्री यशवंत कुमार राजवाड़े (राजापुर ब्रिक्स अर्थ क्वारी), ग्राम–राजापुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1162)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 141636/2020, दिनांक 08/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–राजापुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 138, कुल क्षेत्रफल 1.05 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–1,564 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।

2. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों मे किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक मे प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गुलाब राय डहरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध मे ग्राम पंचायत राजापुर का दिनांक 12/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी बलोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /2083/खनिज/खनि.2/2020 कोरिया, वैकुण्ठपुर, दिनांक 23/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3742ए/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 02/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3742ए/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 02/05/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि मे कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1901/खनिज/ई-निविदा-राजापुर/2019 सूरजपुर, दिनांक 14/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 30 वर्ष हेतु वैध है।

6. **भूमि स्वामित्व** – भूमि श्री खीरू राम राजवाड़े के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./4385 सूरजपुर, दिनांक 30/10/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–राजापुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–राजापुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजापुर 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। तालाब 20 मीटर की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 17,712 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 13,229 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 12,568 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर (0.058 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 1.8 मीटर है। प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

प्रथम पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (नग)
प्रथम वर्ष प्रथम बैच	700	0.8	560	7,50,000
प्रथम वर्ष द्वितीय बैच	640	1.0	640	
द्वितीय वर्ष प्रथम बैच	700	0.8	560	7,50,000
द्वितीय वर्ष द्वितीय बैच	640	1.0	640	
तृतीय वर्ष प्रथम बैच	700	0.8	560	7,50,000
तृतीय वर्ष द्वितीय बैच	640	1.0	640	
चतुर्थ वर्ष प्रथम बैच	700	0.8	560	7,50,000
चतुर्थ वर्ष द्वितीय बैच	640	1.0	640	
पंचम वर्ष प्रथम बैच	750	0.8	600	8,12,500
पंचम वर्ष द्वितीय बैच	700	1.0	700	

आगामी पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (नग)
छठवे वर्ष प्रथम बैच	750	0.8	600	8,12,500
छठवे वर्ष द्वितीय बैच	700	1.0	700	
सातवें वर्ष प्रथम बैच	750	0.8	600	8,12,500
सातवे वर्ष द्वितीय बैच	700	1.0	700	
आठवे वर्ष प्रथम बैच	800	0.8	640	8,75,000

आठवे वर्ष द्वितीय बैच	760	1.0	760	
नौवे वर्ष प्रथम बैच	1,095	0.8	876	9,37,500
नौवे वर्ष द्वितीय बैच	624	1.0	624	
दसवे वर्ष प्रथम बैच	1,564	1.0	1,564	9,77,500

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति लीज क्षेत्र के बाहर स्थित स्वयं के बोरवेल से की जाएगी। इस बाबत् आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित स्थल पर ईंट निर्माण इकाई अधिकतम क्षमता 9,77,500 नग किया जाएगा, जिसका उल्लेख त्रुटिवश आवेदन में नहीं किया गया है। अतः पर्यावरणीय स्वीकृति मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–1,564 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट निर्माण इकाई क्षमता 9,77,500 नग) हेतु जारी किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Govt. Primary School Village-Rajapur	
			Rain Water Harvesting System	0.50

			Potable Drinking Water	0.30
			Running Water Arrangement	0.40
			Plantation	0.30
			Total	**1.50**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3742ए/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 02/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–राजापुर) का रकबा 1.05 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–राजापुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 136 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1.05 हेक्टेयर, क्षमता – 1,564 घनमीटर (ईंट निर्माण इकाई क्षमता 9,77,500 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–राजापुर, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 136 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1.05 हेक्टेयर, क्षमता – 1,564 घनमीटर (ईंट निर्माण इकाई क्षमता 9,77,500 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

13. मेसर्स एम.एम. इंटरप्राईसेस (बैजलपुर लाईम स्टोन माईन), ग्राम–बैजलपुर, तहसील–बलोदा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1161)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 141563/2020, दिनांक 07/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बैजलपुर, तहसील–बलोदा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 394/1, 394/4, 394/2, 389/3, 397, 395, (398/1, 422/2, 421/2), कुल क्षेत्रफल–2.173 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 36,252 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र मित्तल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत करमंदा का दिनांक 16/02/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 316/खनि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 15/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3027/गौण खनिज/ई–निविदा/न.क्र./2019–20 जांजगीर, दिनांक 11/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, क्षेत्रफल 13.050 हेक्टेयर है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक 665/गौण खनिज/ई–निविदा/न.क्र./2019–20 जांजगीर, दिनांक 07/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1546 / खनि02 / उ.प.–अनु.निष्पा. / न.ज्ञा.50 / 2017 नवा रायपुर, दिनांक 04 / 03 / 2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

6. **भूमि स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 398, 421 / 2 एवं 422 / 2 आवेदक के नाम पर है तथा खसरा क्रमांक 389 / 3 श्री लखन सिंह, सत्यनारायण, शंकर, दादू, बजरंग, पवन, खसरा क्रमांक 394 / 1, 394 / 4 श्री शिव कुमार खसरा क्रमांक 394 / 2 श्री अनहन सिंह, खसरा क्रमांक 395 श्री चमरा सिंह एवं श्री रामार सिंह एवं खसरा क्रमांक 397 श्री सुख सागर के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15 / 01 / 2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर चांपा वनमण्डल चांपा के ज्ञापन क्रमांक / वन.अधि. / 462 चांपा, दिनांक 21 / 01 / 2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.3 कि.मी. दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बैजलपुर 0.75 कि.मी., स्कूल ग्राम–बैजलपुर 1 कि.मी., अस्पताल चांपा 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.5 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 1.85 कि.मी. दूर है। नाला 0.35 कि.मी., तालाब 0.55 कि.मी. एवं पुल 0.73 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 8,14,875 टन, माईनेबल रिजर्व 3,60,737 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,42,700 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.686 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 7,834 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्षवार	प्रस्तावित उत्पादन (टन)
प्रथम वर्ष	36,252
द्वितीय वर्ष	34,347
तृतीय वर्ष	33,003
चतुर्थ वर्ष	34,506
पंचम वर्ष	35,503

छठवे वर्ष	34,257
सातवे वर्ष	35,853
आठवे वर्ष	32,775
नौवे वर्ष	32,005
दसवे वर्ष	34,198

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की खपत 9.52 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,371 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में पूर्व से 1,009 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। जिसमें 7.5 मीटर के सेफ्टी बेल्ट के अंतर्गत का क्षेत्र भी शामिल है। उक्त क्षेत्र का ओव्हर बर्डन से भराव कर वृक्षारोपण किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य आरंभ नहीं किया गया है।

17. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3027/गौण खनिज/ई–निविदा/न.क./2019–20 जांजगीर, दिनांक 11/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदान, क्षेत्रफल 13.053 हेक्टेयर होना बताया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? अतः ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर की गणना किये जाने के लिए 500 मीटर की परिधि में आने वाले समस्त खदानों का प्रमाण पत्र प्राप्त कर तदनुसार ई.आई.ए. अध्ययन किया जाए।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

19. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के

अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55	2%	1.10	Following activities at Govt. Primary School **Village-Baijalpur**	
			Rain Water Harvesting System	0.86
			Running Water Arrangement	0.10
			Plantation	0.10
			Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
			Total	**1.11**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3027/गौण खनिज/ई–निविदा/न.क./2019–20 जांजगीर, दिनांक 11/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, क्षेत्रफल 13.053 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बैजलपुर) का रकबा 2.173 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बैजलपुर) को मिलाकर कुल रकबा 15.226 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project Proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and submit the report along with photographs will be EIA report.

   iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department as per EIA notification and accordingly EIA study shall be carried out.

v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

14. मेसर्स मेयफेयर होटल एवं रिसोर्ट लिमिटेड, ग्राम–सूता, सेक्टर–24, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1269)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 149675/2020, दिनांक 18/03/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सूता, सेक्टर–24, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 746/2, 755/1, 758(पार्ट), 759/2(पार्ट), 759/3, 769, 770(पार्ट), 771(पार्ट), 772/1–2, 773(पार्ट), 774(पार्ट), 775/2(पार्ट), 787(पार्ट), 788/1, 788/2, 789(पार्ट), 790(पार्ट), 791/1, 791/2, 792(पार्ट), 793(पार्ट), 802(पार्ट), 803(पार्ट), 805/1 incl. (पार्ट ऑफ 806/1), 805/2 incl. (पार्ट ऑफ 806/3), 805/3 incl. (पार्ट ऑफ 806/4), 807, 808, 809, 810, 811/2(पार्ट), 812(पार्ट), 813/1(पार्ट) एवं 813/2(पार्ट), प्लॉट एरिया – 5.38 हेक्टेयर में निर्मित होटल एवं रिसोर्ट के बिल्टअप क्षेत्र के विस्तार के तहत प्रस्तावित बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट बिल्टअप क्षेत्रफल – 19,646.26 वर्गमीटर को विस्तार कर कुल – 22,615.12 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अनुमोदित ले–आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. यह स्पष्ट किया जाये कि वर्तमान में कितने क्षेत्रफल में निर्माण पूर्ण किया गया है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. दूषित जल हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।

5. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।

6. ठोस अपशिष्टो के निपटान हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. स्थापित एवं प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

8. ले-आउट में स्थापित एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव कुमार पटनायक, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - निकटतम शहर रायपुर 16 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन मंदिर हसौद 9.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 3.75 कि.मी. दूर है। खारून नदी 14.9 कि.मी. दूर है। झांझ जलाशय लगा हुआ है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

   - जंगल सफारी 5.25 कि.मी. की दूरी पर है।

2. **भूमि स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

Particulars	Built-up Area as per regularized Permission (Square Meter)	Proposed Expansion (Square Meter)	Built-up area after proposed expansion (Square Meter)	Remarks
Admin Block &	2,114.86	349.90	2,464.76	Addition

Spa				of one floor in spa block
Banquet Hall, Kitchen & Dinning	7,332.65	–	7,332.65	–
Bar & GYM	161.56	–	161.56	–
Children Play Area	83.70	–	83.70	–
Presidential suit Cottage 1 block	1,155.43	–	1,155.43	–
Executive Cottage	751.07	–	751.07	–
Standard block (1)	859.87	–	859.87	–
Standard block (8)	7,187.12	–	7,187.12	–
Restaurant / Staff Accommodation	–	2,618.96	2,618.96	New building with three floors
Total	**19,646.26**	**2,968.86**	**22,615.12**	

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 9403, दिनांक 06/09/2017 द्वारा होटल / रिसोर्ट प्रयोजन हेतु स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन अनुसार विकास अनुज्ञा जारी की गई है। तत्पश्चात् संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 37850, दिनांक 26/09/2019 द्वारा होटल (रिसोर्ट) प्रयोजन विकास को कार्यान्वित करते हुये कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 22,615.12 वर्गमीटर हेतु विकास अनुज्ञा जारी की गई है।

5. भवन अधिकारी, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 7074, दिनांक 06/10/2017 द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा 16,107.46 वर्गमीटर हेतु प्रदाय की गई। तत्पश्चात् भवन अधिकारी, अटल नगर विकास प्राधिकरण, अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 8892, दिनांक 15/11/2018 द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा में वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 06/10/2019 तक थी।

6. वर्तमान में बिल्टअप क्षेत्रफल – 19,646.26 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण पूर्ण किया गया है। इस हेतु भवन अधिकारी, नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 7091, दिनांक 16/10/2019 द्वारा दखलकारी अनुज्ञा (Occupancy Certificate) जारी किया गया है।

7. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 16/05/2019 द्वारा कुल क्षेत्रफल 1,70,099.27 वर्गफीट के लिए जल एवं वायु सम्मति जारी की गई, जिसकी वैधता दिनांक 15/05/2020 तक थी।

8. वर्तमान में लगभग 1,878 व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाना बताया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत इन सुविधाओं का उपयोग लगभग 1,778 व्यक्तियों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

10. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – परियोजना में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु तीन कलर बिन/बैग पद्धति अपनायी गई है। वर्तमान में परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 617.38 किलोग्राम प्रतिदिन (कम्पोस्टेबल अपशिष्ट 370.78 किलोग्राम प्रतिदिन, रिसाईक्लेबल अपशिष्ट 184.95 किलोग्राम प्रतिदिन एवं इनर्ट अपशिष्ट 61.65 किलोग्राम प्रतिदिन) होता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 632.38 किलोग्राम प्रतिदिन (कम्पोस्टेबल अपशिष्ट 379.78 किलोग्राम प्रतिदिन, रिसाईक्लेबल अपशिष्ट 189.45 किलोग्राम प्रतिदिन एवं इनर्ट अपशिष्ट 63.15 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं ड्राई के अनुसार संग्रहित किया जाता है। अपशिष्टों का अपवहन अटल नगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 268 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग एवं पुल मेकअप हेतु 117 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लशिंग हेतु 48 घनमीटर प्रतिदिन, लॉण्ड्री वॉशिंग हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन, वेहिकल वॉशिंग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, हॉर्टिकलचर हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लोर क्लीनिंग एवं कॉमन एरिया वॉशिंग हेतु 21 घनमीटर प्रतिदिन एवं एच.वी.ए.सी. हेतु 35 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु 279 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग एवं पुल मेकअप हेतु 1122 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लशिंग हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन, लॉण्ड्री वॉशिंग हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन, वेहिकल वॉशिंग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, हॉर्टिकलचर हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लोर क्लीनिंग एवं कॉमन एरिया वॉशिंग हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन एवं एच.वी.ए.सी. हेतु 35 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – वर्तमान में उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 167 घनमीटर प्रतिदिन है। क्षमता विस्तार उपरांत उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 174 घनमीटर प्रतिदिन होगी। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 200 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्विलाइजेशन कम सेटलिंग टैंक, एमबीबीआर टैंक, ट्यूब सेटलर, फिल्ट्रेशन यूनिट्स, डिसइंफेक्शन(ओजोनेशन), ट्रिटेड वॉटर स्टोरेज आदि स्थापित किया गया है। उपचारित दूषित जल की मात्रा 97 घनमीटर प्रतिदिन है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में हॉर्टिकलचर 20 घनमीटर प्रतिदिन, कॉमन एरिया वॉशिंग 21 घनमीटर प्रतिदिन एवं एच.वी.ए.सी. 35 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत हॉर्टिकलचर 20 घनमीटर प्रतिदिन, कॉमन एरिया वॉशिंग 24 घनमीटर प्रतिदिन एवं एच.वी.ए.सी. 35

घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 26,576 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 8 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 3.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 1 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत खपत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 1,000 के.वी.ए. की आवश्यकता होती है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु 1,400 के.वी.ए. की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में विकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 625 के.वी.ए. एवं क्षमता विस्तार उपरांत अन्य 1 नग 625 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया गया है, जिससे संलग्न चिमनी की ऊंचाई ग्राउण्ड लेवल से 5 मीटर (सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित नॉर्मस के आधार पर) रखा गया है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी।

14. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – वर्तमान में 12,778.86 वर्गमीटर (23.78 प्रतिशत) क्षेत्रफल में पूर्व से 4,150 नग पौधे रोपित है। उक्त के अतिरिक्त 6,970 वर्गमीटर क्षेत्र में लॉन विकसित किया गया है।

15. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त की गई है। बैंकेट हॉल, बार एवं जीम में रूफटॉप सोलर गीजर की स्थापना की जाएगी। लेण्ड स्केपिंग, गार्डन्स, पाथ–वे एवं स्काई ओपन ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम लगाया जाएगा।

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (in lakh)

(Rs. in lakh)	to bo Spent	Activities (Rs. in lakh)	Particulars	CER Fund Allocation (Rs. in lakh)
400	1.0%	4.0	Following Activities at Nearby Govt. schools	
			Rain Water Harvesting, Running water facility for Toilets & Solar lighting System	11.00
			Total	**11.00**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** ग्राम–तूता, सेक्टर–24, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 746/2, 755/1, 758(पार्ट), 759/2(पार्ट), 759/3, 769, 770(पार्ट), 771(पार्ट), 772/1–2, 773(पार्ट), 774(पार्ट), 775/2(पार्ट), 787(पार्ट), 788/1, 788/2, 789(पार्ट), 790(पार्ट), 791/1, 791/2, 792(पार्ट), 793(पार्ट), 802(पार्ट), 803(पार्ट), 805/1 incl. (पार्ट ऑफ 806/1), 805/2 incl. (पार्ट ऑफ 806/3), 805/3 incl. (पार्ट ऑफ 806/4), 807, 808, 809, 810, 811/2(पार्ट), 812(पार्ट), 813/1(पार्ट) एवं 813/2(पार्ट), प्लॉट एरिया – 5.38 हेक्टेयर में वर्तमान में निर्मित भवन (बिल्टअप क्षेत्रफल 19,646.26 वर्गमीटर) के विस्तार के तहत् प्रस्तावित, बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 22,615.12 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–तूता, सेक्टर–24, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 746/2, 755/1, 758(पार्ट), 759/2(पार्ट), 759/3, 769, 770(पार्ट), 771(पार्ट), 772/1–2, 773(पार्ट), 774(पार्ट), 775/2(पार्ट), 787(पार्ट), 788/1, 788/2, 789(पार्ट), 790(पार्ट), 791/1, 791/2, 792(पार्ट), 793(पार्ट), 802(पार्ट), 803(पार्ट), 805/1 incl. (पार्ट ऑफ 806/1), 805/2 incl. (पार्ट ऑफ 806/3), 805/3 incl. (पार्ट ऑफ 806/4), 807, 808, 809, 810, 811/2(पार्ट), 812(पार्ट), 813/1(पार्ट) एवं 813/2(पार्ट), प्लॉट एरिया – 5.38 हेक्टेयर में वर्तमान में निर्मित भवन (बिल्टअप क्षेत्रफल 19,646.26 वर्गमीटर) के विस्तार के तहत् प्रस्तावित, बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 22,615.12 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

15. मैसर्स धनेली डोलोमाइट क्वॉरी (पार्टनर–श्री संतोष कुमार शर्मा), ग्राम–धनेली, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 958)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43127/2019, दिनांक 19/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनेली, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 188/2, 189/1,2, 190/2, 191/1,2, 192/2, 193/2,3, 197, 198/2, 199 एवं 200, कुल क्षेत्रफल – 4.829 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 24,752 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरूण स्वामी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनेली का दिनांक 04/12/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो अपर संचालक, संचानालय भौगिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3933/माईनिंग-2/क्यू.पी./एफ.नं. 88/2015 अटल नगर रायपुर, दिनांक 26/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 714/डोलोमाईट/2019 बलौदाबाजार, दिनांक 05/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय तहसीलदार, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 221/या.तह./2019 भाटापारा, दिनांक 24/01/2020 खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन अटल नगर, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-11/2013/12 अटल नगर रायपुर, दिनांक 24/09/2018 द्वारा जारी की गई है।

6. **भूमि स्वामित्व** – भूमि श्री संतोष कुमार शर्मा, श्री अजय मसीह एवं श्री नंदलाल ठाकुर के नाम पर है। श्री संतोष कुमार शर्मा एवं श्री अजय मसीह पार्टनर है। श्री नंदलाल ठाकुर से सहमति प्राप्त की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, जिला-बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./खनिज/3191 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-धनेली 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम-धनेली 1.2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 16,95,395 टन एवं माईनेबल रिजर्व 6,64,300 टन है। लीज क्षेत्र के चारो ओर 7.5 मीटर (0.694 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 4,258.5 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 27 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन (टन)
प्रथम	420	2.6	7,140	18,564
द्वितीय	560	2.6	9,520	24,752
तृतीय	550	2.6	9,350	24,310
चतुर्थ	530	2.6	9,010	23,426
पंचम	510	2.6	8,670	22,542

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.08 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकटतम बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की बाहरी पट्टी में 1,600 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाएगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सड़क से खदान 50 मीटर की दूरी पर है। अतः लीज क्षेत्र के उस तरफ अतिरिक्त 50 मीटर के क्षेत्र में खनन नहीं किया जाएगा तथा इसमें वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

16. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है –

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100	2%	2.0	Following activities at Govt. High School Village-Dhanell	
			Rain Water	1.50

			Harvesting System	
			Plantation	0.50
			Total	**2.00**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 714/डोलोमाईट/2019 बलौदाबाजार, दिनांक 05/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–धनेली) का रकबा 4.829 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–धनेली, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 188/2, 189/1,2, 190/2, 191/1,2, 192/2, 193/2,3, 197, 198/2, 199 एवं 200 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 4.829 हेक्टेयर, क्षमता – 24,752 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–धनेली, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 188/2, 189/1,2, 190/2, 191/1,2, 192/2, 193/2,3, 197, 198/2, 199 एवं 200 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 4.829 हेक्टेयर, क्षमता – 24,752 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

16. मेसर्स श्री दौलत सिंह बंदेल (नवागांव लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1212)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एम०आईएन/ 146172/2020, दिनांक 28/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 260/1, कुल क्षेत्रफल–0.972 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोपेन्द्र कुमार यदु, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में लीज का हस्तांतरण मेसर्स क्वालिटी कन्सट्रक्शन (प्रो.– श्री जी.डी. जसवानी) के नाम पर दिनांक 04/01/2020 को किया गया है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के लगभग पूर्णतः उत्खनित है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में की गई रिजर्व गणना में नहीं किया गया है। तदानुसार माईनिंग प्लान में संशोधन कराते हुये हस्तांतरण कराया जाना प्रस्तावित है।
3. उक्त के परिपेक्ष्य में आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

17. मेसर्स आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (द्वारा कार्यपालन अभियंता), ग्राम–कोटा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1289)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 152293/2020, दिनांक 29/04/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कोटा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 19/1 एवं 138/1, प्लॉट क्षेत्रफल – 1,46,845 वर्गमीटर में निर्मित आवासीय कॉम्पलेक्स (बिल्टअप क्षेत्रफल – 17,540.11 वर्गमीटर) के विस्तार के तहत् अतिरिक्त भवन निर्माण (30,195.57 वर्गमीटर) कर नये आवासीय कॉम्पलेक्स कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 47,736.5 वर्गमीटर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अनुमोदित ले–आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाये।
3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाये।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाये।
5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
7. ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज रस्तोगी, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी सिलतरा 12 कि.मी., स्कूल ग्राम–मोहभट्ठा 0.51 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन सरस्वती नगर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 17.24 कि.मी. दूर है। खारून नदी 4.9 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **भूमि स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।

3. **एरिया स्टेटमेंट** –

S. No.	Particulars	Area (Sq. Meter)
1.	Total Plot Area	1,46,845.00
2.	Permissible Ground Coverage (@30% of Total Plot area)	44,053.50
3	Total Proposed Ground Coverage (@ 6.405% of Total plot area)	9,405.45
3 (a)	Existing Ground Coverage In Blocks (Phase –I)	3,675.43
3 (b)	Proposed Ground Coverage In Blocks (Phase-II)	5,730.02
4.	Permissible FAR @1.25	1,83,556.25
5.	**Total FAR @0.3 (Phase - I + Phase –II)**	**44,394.04**
5 (a)	Existing FAR in Blocks (Phase – I)	**17,540.11**
5 (b)	Proposed FAR in Blocks (Phase – II)	**26,853.93**
	Type-II Building (1block)	3,212.64
	Type-III Building(2blocks)	4,681.04
	Type-IV Building (2blocks)	7,395.90
	Type-VI Building (2blocks)	4,966.48
	UG Hostel Boys(1block)	1,962.23
	UG Hostel Girls (1block)	1,800.09
	Nurse Hostel (1block)	1,506.83
	Amenity Block (1block)	1,327.87
6.	**Total Non FAR**	**3,341.64**
7.	**Total Proposed Built up Area(BUA) (5(b)+6)**	**30,195.57**
8.	Proposed Landscape Area	88,616.0
9.	**Total Built Up Area (5(a)+7)**	**47,736.50**

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 46333, दिनांक 02/12/2019 द्वारा आवासीय कॉम्पलेक्स (स्टीफ क्वाटर, हॉस्टल एवं एमिनिटी ब्लॉक) हेतु स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन जारी किया गया है।

5. परियोजना हेतु सुविधाओं का उपयोग लगभग कुल 1,736 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

7. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – परियोजना में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु तीन कलर बिन पद्धति अपनायी गई है। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 814 किलोग्राम प्रतिदिन होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं ड्राई के अनुसार संग्रहित किया जाता है। ठोस अपशिष्ट का अपवहन नगर निगम रायपुर के माध्यम से की जाती है। रिसाईक्लेबल अपशिष्ट को अधिकृत रिसायक्लर को उपलब्ध कराया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी। वेट अपशिष्ट को खाद बनाने में उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए कम्पोस्टिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – कन्सट्रक्शन फेस में परियोजना हेतु 100 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाता है। ऑपरेशनल फेस में परियोजना हेतु 228 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 104 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लशिंग हेतु 44 घनमीटर प्रतिदिन, हॉर्टिकल्चर हेतु 80 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति नगर निगम रायपुर के माध्यम से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – परियोजना से उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 138 घनमीटर प्रतिदिन होगी। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर (क्लोरिन) आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 400 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर (सोडियम हाइपो–क्लोराइड) आधारित अतिरिक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 170 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, इक्वेलाइजेशन टैंक, सिक्वेंशियल बैच रियेक्टर, फिल्टर प्रेस, डिकेन्ट टैंक, प्रेशर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, क्लोरिन डोसेज, फाईनल होल्डिंग टैंक आदि स्थापित किया जाएगा। उपचारित दूषित जल की मात्रा 124 घनमीटर प्रतिदिन है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत हॉर्टिकल्चर 80 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लशिंग 44 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार **Over exploited, critical and semi-critical assessment unit** में स्थापित इकाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू-जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरूप उद्योग को औद्योगिक कार्य हेतु भू-जल दोहन की अनुमति नहीं होगी। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 54,298 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 नग रिचार्ज पिट निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें रिचार्ज स्ट्रक्चर की क्षमतानुसार वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 1,000 के.वी.ए. की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया गया है, जिससे संलग्न चिमनी की ऊंचाई ग्राउण्ड लेवल से 6 मीटर (सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के आधार पर) रखा गया है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी।

11. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – वर्तमान में 31,579 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पौधे रोपित है। क्षमता विस्तार उपरांत 53,839 वर्गमीटर क्षेत्रफल (कुल क्षेत्रफल का 36.66 प्रतिशत) में 8,070 नग पौधे रोपित किये जाएंगे। इसके अलावा 8,707.30 वर्गमीटर में लॉन एरिया विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

12. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त की जाएगी। सोलर पैनल की स्थापना की जाएगी। आंतरिक स्थलों में प्रोग्रामेबल स्वीचिंग की व्यवस्था की जाएगी। कॉमन एरिया में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम लगाया जाएगा।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Crore)

(Rs. in Crore)	to be Spent	Activities (Rs. in Crore)	Particulars	CER Fund Allocation (Rs. in Crore)
106	1.5%	1.59	Following Activities at Nearby Govt. schools	
			Environment Awareness Program in Nearby Area, Schools	0.10
			Rain Water Harvesting Installation in School and Hospital	0.35
			Providing Potable Drinking water in School and Hospital	0.25
			Free Medical Camps for the poor, Ambulance Service near the site	0.15
			Provide Solar Street Light in the Nearby Area	0.45
			Avenue Plantation within 05 km of the Project Site	0.29
			Total	**1.59**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** ग्राम–कोटा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 19/1 एवं 138/1, प्लॉट क्षेत्रफल – 1,46,845 वर्गमीटर में निर्मित आवासीय कॉम्पलेक्स (बिल्टअप क्षेत्रफल – 17,540.11 वर्गमीटर) के विस्तार के तहत् अतिरिक्त भवन निर्माण (30,195.57 वर्गमीटर) कर नये आवासीय कॉम्पलेक्स, कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 47,736.5 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–कोटा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 19/1 एवं 138/1, प्लॉट क्षेत्रफल – 1,46,845 वर्गमीटर में निर्मित आवासीय कॉम्पलेक्स (बिल्टअप क्षेत्रफल – 17,540.11 वर्गमीटर) के विस्तार के तहत् अतिरिक्त भवन निर्माण (30,195.57 वर्गमीटर) कर नये आवासीय कॉम्पलेक्स, कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 47,736.5 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

18. मेसर्स एनएसपीआर–पीएलआर ज्वाईंट वेन्चर (दर्रीटोला आर्डिनरी स्टोन टेम्परारी परमिट क्वारी), ग्राम–दर्रीटोला, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1298)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 53059 / 2020, दिनांक 07 / 05 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दर्रीटोला, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 199 / 1, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,15,447.1 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 05 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03 / 06 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उत्तम कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत महराजपुर का दिनांक 04 / 11 / 2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 235 / खनिज / 2018, सूरजपुर, दिनांक 07 / 02 / 2018 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2398/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/04/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के क्रमांक 2399/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/04/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, रेल लाईन, नहर, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज मेसर्स एनएसपीआर–पीएलआर ज्वाईंट वेन्चर के नाम पर है, लीज डीड 02 वर्ष अर्थात् दिनांक 06/11/2019 से 05/11/2021 तक की अवधि हेतु है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./2017/1738 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 23/09/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दरीटोला 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–दरीटोला 1.1 कि.मी., अस्पताल ग्राम–नागपुर 2.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12.8 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 6.8 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,97,565 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,84,785 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,48,306 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.168 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट रोनी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर (9 मीटर सतह से ऊपर एवं 6 मीटर सतह से नीचे) है। भू–भाग में पूर्व से उत्खनित क्षेत्र लगभग 5,300 वर्गमीटर है। वर्तमान में सामान्य सतह के ऊपर से 3 – 6 मीटर तक उत्खनन किया गया है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,580 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	1,15,447

द्वितीय वर्ष	5,001

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.67 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सहमति ली जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 558 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 300 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 258 नग वृक्षारोपण आगामी मानसून के पूर्व किया जाएगा। पहुँच मार्ग में 300 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 199/1, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर हे. क्षमता – 1,43,305 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 01/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 29/02/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

    iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/2397/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/04/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
06/11/2019 से 28/02/2020 तक	10,318

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.48	2%	1.17	Following activities at Govt. Primary School **Village-Darritola**	
			Rain Water Harvesting System	0.82
			Potable Drinking Water	0.20
			Running Water Arrangement	0.10
			Plantation	0.10
			Total	**1.22**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:--

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2398/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/04/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–दरीटोला) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–दरीटोला) को मिलाकर कुल रकबा 2.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–दरीटोला, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 199/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, क्षमता – 1,15,447 टन प्रतिवर्ष जारी दिनांक से दिनांक 05/11/2021 तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–दरीटोला, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 199/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, क्षमता – 1,15,447 टन प्रतिवर्ष जारी दिनांक से दिनांक 05/11/2021 तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

19. मेसर्स श्री बबलू कुमार जोशी (हर्राठेमा सेण्ड माईन, ग्राम–हर्राठेमा, तहसील व जिला–बालोद), ग्राम–सिरमिट्टी, तहसील व जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1166)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 141855 / 2020, दिनांक 09 / 02 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–हर्राठेमा, तहसील व जिला–बालोद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 97 / 3, कुल लीज क्षेत्र 2.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सुखा नाला से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 38,700 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट / पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 318वीं बैठक दिनांक 12/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बबलू कुमार जोशी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 18/05/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 18/05/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (संशोधित माईनिंग प्लान नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 03/06/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 04/06/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

(ई) समिति की 329वीं बैठक दिनांक 04/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बबलू कुमार जोशी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुल्लेगुड़ा का दिनांक 15/02/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/944/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 21/01/2020 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् संशोधित माईनिंग प्लान किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/140/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2020–21 कांकेर, दिनांक 02/06/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 921/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 13/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 923/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 13/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, घाट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय/राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 840/ख.लि./रेत खदान नीलामी/2019 बालोद, दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–हर्राटेमा 0.175 कि.मी., स्कूल ग्राम–हर्राटेमा 1 कि.मी. एवं अस्पताल बालोद 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.2 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 220 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 126 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 586 मीटर, औसतन चौड़ाई – 44 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के बायें किनारे से दूरी अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 36 मीटर एवं दायें किनारे से दूरी अधिकतम 33 मीटर, न्यूनतम 7 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 38,700 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत मुल्लेगुड़ा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 97/3, क्षेत्रफल 2.58 हेक्टेयर, क्षमता–38,700 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बालोद द्वारा दिनांक 16/10/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/12/2017 तक की अवधि हेतु जारी की थी। तत्पश्चात् सरपंच, ग्राम पंचायत मुल्लेगुड़ा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 97/3, क्षेत्रफल 2.58 हेक्टेयर, क्षमता–25,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बालोद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 12/05/2018 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 44/खनि.लि./खनिज/2020 बालोद, दिनांक 10/05/2020 के अनुसार दिनांक 16/10/2017 से 15/12/2017 में 5.131 घनमीटर, एवं दिनांक 13/03/2018 से 12/05/2018 में 7.753 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 12/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.50	2%	0.57	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Harrathema	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.15
			Total	**0.75**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** –

i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 125 मीटर एवं न्यूनतम 68 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 7 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से 12.5 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 400 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पुल खदान से 220 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 500 मीटर दूरी छोड़ी जाना आवश्यक है। माईनिंग प्लान के अनुसार खनन क्षेत्र से पुल की दूरी 500 मीटर रखने के लिए खनन क्षेत्र की 280 मीटर लंबाई के क्षेत्र में 12,900 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 13,300 (400 + 12,900) वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 12,500 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। सूखा नाला नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. आवेदित खदान (ग्राम–हर्रातेमा) का रकबा 2.58 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 300 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री बबलू कुमार जोशी, हर्राठेमा सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 97/3, ग्राम–हर्राठेमा, तहसील व जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्रफल 2.58 में से गैर माईनिंग क्षेत्र 13,300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.25 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 12,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री बबलू कुमार जोशी, हर्राठेमा सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 97/3, ग्राम–हर्राठेमा, तहसील व जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्रफल 2.58 में से गैर माईनिंग क्षेत्र 13,300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.25 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 12,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

20. मेसर्स श्री मोहम्मद नदीमुद्दीन (जी–1 रूनियाडीह सेण्ड माईन, ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर) बुढ़ा तालाब, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1241)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 147985/2020, दिनांक 08/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन रेहर नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–90,620 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शेख अलीमुद्दीन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि अपरिहार्य कारणों (संशोधित माईनिंग प्लान नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 03/06/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 04/06/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।
परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

(स) समिति की 329वीं बैठक दिनांक 04/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शेख अलीमुद्दीन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रूनियाडीह का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2357/खनिज/2020 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/03/2020 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/2373/खनिज/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 29/05/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक खनिज/2020 सूरजपुर 3649, दिनांक 05/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक खनिज/2020 सूरजपुर, 3649, दिनांक 05/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3468/गौ.ख.रे./रि.औ./न.क्र.02/2019 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रूनियाडीह 1 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। पुल खदान से 204 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 195 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर तथा खनन स्थल की की औसतन लंबाई – 426 मीटर, चौड़ाई – 85 मीटर से 95 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के पूर्वी किनारे से दूरी अधिकतम 12 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर एवं पश्चिमी किनारे से दूरी अधिकतम 81 मीटर, न्यूनतम 70 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 90,620 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.22 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 01/03/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.4	2%	0.69	Following activities at Nearby Government Middle School **Village- Runiyadih**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.15
			Total	**0.90**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. गैर माईनिंग क्षेत्र –

i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 195 मीटर एवं न्यूनतम 180 मीटर है जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 11 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से 19.5 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 1,295 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पुल खदान से 204 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 500 मीटर दूरी छोड़ी जाना आवश्यक है। माईनिंग प्लान के अनुसार खनन क्षेत्र से पुल की दूरी 500 मीटर रखने के लिए खनन क्षेत्र की 300 मीटर लंबाई के क्षेत्र में 31,861 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 33,156 (1,295 + 31,861) वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 15,844 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। रेहर नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम–रूनियाडीह) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री मोहम्मद नदीमुद्दीन, जी–1 रूनियाडीह संण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 33,156 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.584 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 15,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री मोहम्मद नदीमुद्दीन, जी–1

रूनियाडीह सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 33,156 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.584 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 15,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

21. मेसर्स श्री मोहम्मद नदीमुद्दीन (जी–2 रूनियाडीह सेण्ड माईन, ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर) बुढ़ा तालाब, जिला–रायपुर (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1244)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 148025/2020, दिनांक 09/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 356 कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन रेहर नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–90,420 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शेख अलीमुद्दीन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि अपरिहार्य कारणों (संशोधित माईनिंग प्लान नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 03/06/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 04/06/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

(ब) समिति की 329वीं बैठक दिनांक 04/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शेख अलीमुद्दीन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रूनियाडीह का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2355/खनिज/2020 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/03/2020 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/2373/खनिज/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 29/05/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक खनिज/2020 सूरजपुर 3650, दिनांक 05/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक खनिज/2020 सूरजपुर 3650, दिनांक 05/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3470/गै.ख.रे./रि.औ./न.क्र.02/2019 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-रूनियाडीह 1 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 285 मीटर, न्यूनतम 191 मीटर तथा खनन स्थल की औसतन लंबाई – 460 मीटर, चौड़ाई – 85 मीटर से 126 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के

उत्तरी किनारे से दूरी अधिकतम 135 मीटर, न्यूनतम 76 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी अधिकतम 28 मीटर, न्यूनतम 12 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 90,410 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) आधार दिनांक 01/03/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार, सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.4	2%	0.69	Following activities at Nearby Government School	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.15
			Total	**0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 285 मीटर एवं न्यूनतम – 191 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 12 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से 28.5 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3,795 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 4.52 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। रेहर नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. आवेदित खदान (ग्राम–रूनियाडीह) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री मोहम्मद नदीमुद्दीन, जी–2 रूनियाडीह सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 3,795 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.52 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री मोहम्मद नदीमुद्दीन, जी–2 रूनियाडीह सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, ग्राम–रूनियाडीह, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 3,795 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.52 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

22. मेसर्स श्री गंगा प्रसाद कश्यप (ए–3 जमुनाही सेण्ड माईन, ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली), गुरूकुल, डबरीपारा, लोरमी, जिला–मुंगेली सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1206)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 145487/2020, दिनांक 26/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 62/3, कुल लीज क्षेत्र 2.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मनियारी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–28,900 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 03/06/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 04/06/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।
परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 04/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गंगा प्रसाद कश्यप, प्रोपराईटर एवं सुश्री पद्मिनी जांगड़े, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बघनीभांदर का दिनांक 31/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1947/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2020 बिलासपुर, दिनांक 24/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 176/खनि./न.क./2020 मुंगेली, दिनांक 19/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 175/खनि./न.क./2020 मुंगेली, दिनांक 19/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 819/खनि–03/2019 मुंगेली, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–जमुनाही 0.1 कि.मी., स्कूल लोरमी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.5 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 102 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की औसतन चौड़ाई – 45 मीटर, तथा खनन स्थल की औसतन लंबाई – 1200 मीटर, औसतन चौड़ाई – 20 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से न्यूनतम दूरी 10 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 17,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 03 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में सचिव, ग्राम पंचायत बघनीभांवर (ग्राम–जमुनाही) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 62/3, क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर, क्षमता–23,750 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/02/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला– मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/370/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 03/06/2020 के अनुसार वर्ष 2018 में 600 घनमीटर, वर्ष 2019 में 600 घनमीटर एवं 2020 में 300 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

    iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25

मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 15/05/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Jai Hind Middle School **Village-Jamunahi**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Plantation	0.20
			Total	**0.60**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – पुल खदान से 102 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 500 मीटर दूरी छोड़ी जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्र से पुल की दूरी 500 मीटर रखने के लिए खनन क्षेत्र की 400 मीटर लंबाई के क्षेत्र में 8,000 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 17,000 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मनियारी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–जमुनाही) का रकबा 2.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. पुल खदान से 102 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 500 मीटर दूरी छोड़ी जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक अनुसार खनन क्षेत्र से पुल की दूरी 500 मीटर रखने के लिए खनन क्षेत्र की 400 मीटर लंबाई के क्षेत्र में 8,000 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक माईनिंग प्लान में उपरोक्तानुसार गैर माईनिंग क्षेत्र के प्रस्ताव को अंकित कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करेगा।

6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री गंगा प्रसाद कश्यप, ए–3 जमुनाही सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 62/3, ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली, कुल लीज क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 8,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.7 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 17,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र बाबत् संशोधन कराने तथा गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री गंगा प्रसाद कश्यप, ए–3 जमुनाही सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 62/3, ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली, कुल लीज क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 8,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.7 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 17,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

23. मेसर्स श्री गंगा प्रसाद कश्यप (ए–1 बघर्रा सेण्ड माईन, ग्राम– बघर्रा, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली), गुरूकुल, डबरीपारा, लोरमी, जिला–मुंगेली सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1207)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 145506/2020, दिनांक 26/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बघर्रा, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 290, कुल लीज क्षेत्र 1.283 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मनियारी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–21,471 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 03/06/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ

आयोजित बैठक दिनांक 04/06/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।
परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

(स) समिति की 329वीं बैठक दिनांक 04/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गंगा प्रसाद कश्यप, प्रोपराईटर एवं सुश्री पदमिनी जांगड़े, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बघनीभांदर का दिनांक 31/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि, प्रशा.), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1948/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2020 बिलासपुर, दिनांक 24/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 184/खनि./न.क्र./2020 मुंगेली, दिनांक 19/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 183/खनि./न.क्र./2020 मुंगेली, दिनांक 19/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 819/खनि-03/2019 मुंगेली, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बघर्रा 200 मीटर, स्कूल लोरमी 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – न्यूनतम 50

मीटर तथा खनन स्थल की औसतन लंबाई – 480 मीटर, औसतन चौड़ाई – 25 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 12,630 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में सचिव, ग्राम पंचायत बघनीमावर (ग्राम–बघरी) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 290, क्षेत्रफल 1.29 हेक्टेयर, क्षमता–11,998.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सामघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/02/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। माह अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली की ज्ञापन क्रमांक/368/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 03/06/2020 के अनुसार वर्ष 2018 में 600 घनमीटर, वर्ष 2019 में 600 घनमीटर एवं वर्ष 2020 में 300 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

    iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 15/05/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
5	2%	0.10	Following activities at Nearby Government Primary School Village-baghrra	

			Rain Water Harvesting System	0.50
			Plantation	0.10
			Total	**0.60**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मनियारी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम–बगरी) का रकबा 1.263 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून

के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री गंगा प्रसाद कश्यप, ए–1 बघर्रा सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 290, ग्राम–बघर्रा, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली, कुल लीज क्षेत्रफल 1.263 हैक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 12,600 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री गंगा प्रसाद कश्यप, ए–1 बघर्रा सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 290, ग्राम–बघर्रा, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली, कुल लीज क्षेत्रफल 1.263 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 12,600 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

24. मैसर्स श्री गंगा प्रसाद कश्यप (ए–2 जमुनाही सेण्ड माईन, ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली), गुरूकुल, डबरीपारा, लोरमी, जिला–मुंगेली सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1209)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 145537/2020, दिनांक 26/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 62/1, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मनियारी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–68,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम मे 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 03/06/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 04/06/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

(स) समिति की 329वीं बैठक दिनांक 04/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गंगा प्रसाद कश्यप, प्रोपराईटर एवं सुश्री पदमिनी जांगड़े, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बघनीभांवर का दिनांक 31/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1949/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2020 बिलासपुर, दिनांक 24/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 169/खनि./न.क./2020 मुंगेली, दिनांक 19/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 168/खनि./न.क./2020 मुंगेली, दिनांक 19/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 819/खनि–03/2019 मुंगेली, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–जमुनाही 100 मीटर, स्कूल लोरमी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.5 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 500 मीटर की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 60 मीटर, न्यूनतम 55 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 1200 मीटर, अधिकतम चौड़ाई – 35 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के पूर्वी किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 40,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में सचिव, ग्राम पंचायत बघनीमांवर (ग्राम–जमुनाही) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 62/1, क्षेत्रफल 3.7 हेक्टेयर, क्षमता–35,150 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/02/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। मार्ग अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/369/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 03/06/2020 के अनुसार वर्ष 2018 में 600 घनमीटर, वर्ष 2019 में 600 घनमीटर एवं वर्ष 2020 में 300 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

    iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 15/05/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Jamunahi	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Plantation	0.20
			Total	0.70

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मनियारी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. आवेदित खदान (ग्राम– जमुनाही) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 400 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

i. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

ii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री गंगा प्रसाद कश्यप, ए–2 जमुनाही सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 62/1, ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री गंगा प्रसाद कश्यप, ए–2 जमुनाही सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 62/1, ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

25. मेसर्स श्री गजानंद सिन्हा (उफरा सेण्ड माईन, ग्राम–उफरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग), ग्राम–डीटा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1029)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 128887/ 2019, दिनांक 22/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–उफरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1165, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन खारून नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उफरा का दिनांक 08/04/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित वार घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालनालय भूमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 9324/खनि02/रेत(खदान)/न.क्र. 316/2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 19/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1063/खनिज/ख.नि. 3/रेत/2019 दुर्ग दिनांक 25/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1063/खनिज/ख.नि. 3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 25/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकल खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 907/खनिज/रेत (रिवर्स बीडिंग)/2019 दुर्ग, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–उफरा 2.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–उफरा 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल प्रीट 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 175 मीटर, न्यूनतम 71 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 40 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। नदीतट के दायें किनारे में 99 मीटर से 30 मीटर तक एवं बायें किनारे में 25 मीटर से 12 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धर्मेन्द्र साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी तथा अन्य जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत उत्खनन स्थल पर वर्तमान में जल भराव होने के कारण अद्यतन सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति निम्नानुसार से निर्णय लिया गया था –

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/05/2020 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

(II) समिति की 329वीं बैठक दिनांक 04/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गजानंद सिन्हा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 175 मीटर, न्यूनतम 71 मीटर तथा खनन स्थल की औसतन लंबाई – 1240 मीटर, औसतन चौड़ाई – 40 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 12 मीटर से 25 मीटर है।

2. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

3. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत उफरा के नाम से रेत खदान पाट ऑफ सरार, क्रमांक 1165, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु

जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–दुर्ग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/02/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/2228/खनि.लि./खनिज/2020 दुर्ग, दिनांक 03/06/2020 के अनुसार वर्ष 2017–2018 में 1,371 घनमीटर एवं वर्ष 2018–19 में 2,554 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

4. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 14/03/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

5. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
56	2%	1.12	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Ufra	
			Rain Water Harvesting System	0.90
			Potable drinking water facility	0.15
			Plantation with fencing	0.15
			Total	1.20

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

6. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। खारून नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-उफरा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) वास्तव सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –
   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।
   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
   iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री गजानंद सिन्हा, उफरा सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1165, ग्राम-उफरा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी

का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री गजानंद सिन्हा, उफरा सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1165, ग्राम–उफरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3 नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।

1. **श्री अशोक आलम (चेरपाल सेण्ड क्वारी, ग्राम–चेरपाल, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर), शांति नगर, तहसील व जिला–बीजापुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "तहसील–भोपालपट्टनम" के स्थान पर "तहसील–बीजापुर" संशोधन बाबत्। (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1044)**

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान खसरा क्रमांक 23, कुल लीज क्षेत्र 3.341 हेक्टेयर में है।
2. प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129010/ 2019, दिनांक 03/12/2019 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था।

आवेदित प्रकरण पर राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020 तत्पश्चात् राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 94वीं बैठक दिनांक 14/02/2020 को आयोजित बैठक में विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 25/02/2020 द्वारा श्री अशोक आलम, चेरपाल सेण्ड क्वारी, ग्राम–चेरपाल, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर को जारी किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के पत्र दिनांक 18/05/2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "तहसील–भोपालपट्टनम" के स्थान पर "तहसील–बीजापुर" किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि प्रकरण में तत्समय प्रस्तुत आवेदन/ फार्म में तहसील–भोपालपट्टनम का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुमोदित माईनिंग प्लान, प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में तहसील–बीजापुर का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के पत्र दिनांक 18/05/2020 के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में जिस–जिस

स्थानों पर "तहसील–भोपालपट्टनम" का उल्लेख है, उनके स्थान पर "तहसील–बीजापुर" पढ़े जाने बाबत् संशोधन पत्र जारी किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. श्री विनोद कुमार अग्रवाल (ग्राम–सेदम, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा), ग्राम–बतौली, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स श्री दीपेश अग्रवाल, ग्राम–लुडेग, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–सेदम, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 54/2, कुल लीज क्षेत्र 0.827 हेक्टेयर, पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता–23,056.56 टन की है।
2. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सरगुजा के ज्ञापन दिनांक 24/03/2017 द्वारा उक्त क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की जानकारी दी गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के आदेश दिनांक 23/12/2019 द्वारा उक्त उत्खनन पट्टा का अंतरण श्री दीपेश अग्रवाल के नाम पर करने संबंधी अनुज्ञा प्रदान की गई है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक /603/खनिज/खलि.1/उ.प./2020 अम्बिकापुर, दिनांक 26/06/2020 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री दीपेश अग्रवाल के नाम पर नामांतरित किये जाने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित किये जाने हेतु श्री विनोद कुमार अग्रवाल का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2020 को संपन्न 99वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा भस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन दिनांक 26/06/2020 में बताया गया है कि –

"ग्राम–सेदम, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 54/2, रकबा 0.827 हेक्टेयर, क्षेत्र में गौण खनिज पत्थर उत्खनन पट्टा श्री विनोद कुमार अग्रवाल के नाम पर स्वीकृत था, जिसका अंतरण अब श्री दीपेश अग्रवाल को नामांतरित कर दिया गया है।"

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज मंगाये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की पुष्टि करते हुये सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. श्री दीपेश अग्रवाल के नाम पर हस्तांतरित किये गये अंतरण नामांतरित (Lease Transfer) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित लीज एवं क्षमता में परिवर्तन होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4 अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य विषय।

प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व से संचालित गौण एवं मुख्य खनिज खदानों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कुछ आवेदनों में माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के सेफ्टी जोन (बेरियर क्षेत्र) के कुछ भाग में उत्खनन किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में इस उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया जाता है एवं इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में भी समावेश नहीं किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

साथ ही माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन का माईनिंग प्लान में उल्लेख करते हुए इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों के समावेश उपरांत माईनिंग प्लान अनुमोदित किये जाने के लिये संबंधितों को निर्देश जारी करने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से अनुरोध किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र प्रेषित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(संगीता पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(भोगी लाल सरन)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. समीर बाजपेयी)
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़